न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 38/2018 जिला भीलवाड़ा

1. ओमशंकर पुत्र मदनलाल
2. प्रेमशंकर पुत्र मदनलाल

समस्त जाति कुम्भिया ब्राहमण निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांटस

बनाम्

1. समस्त ग्रामवासियान जरिये रामस्वरूप पटवारी ग्राम माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा।
3. कान्ता पुत्री मदनलाल जाति कुम्भिया ब्राहमण निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल दिनांक 06.01.2017 प्रकरण संख्या 546/2016 अनुवानी ग्राम वासियान बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः—श्री हेमसिंह राठौड़, श्री राजेन्द्र सिंह
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः—31.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामवासीयान माण्डल के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत एवं धारा 88,89 आरटीए के तहत उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर ग्राम माण्डल 5346,5347,5354,5348,5350,5351,5355 से 5363, 5585 से 5588/1 कुल किता 19 कुल रकबा 14 बीघा आराजी कुम्भा के मंदिर के नाम राजस्व रिकोर्ड में आराजी दर्ज थी। जिसके नये ख0न02198,2207,2203,2206,2212,2211,2202,2204,2205,2200,2201,2199,1862,1863, कुल किता 14 कुल रकबा 11 बीघा, 19 बिस्वा कायम हुआ है। सैटलमेंट के बाद उक्त भूमियां मदनलाल पुत्र नन्दकिशोर व कंचन बेवा मोहनलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज की गई। विरासत से उक्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज हुई है। अतः उक्त आराजीयात से अपीलांट का नाम हटाया जाकर रिकोर्ड में पुनः महादेव मंदिर स्थान कुम्भा मंदिर माण्डल के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाये। दिनांक 06.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित आराजीयात को अपीलांट के नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर महादेव मंदिर स्थान कुम्भा मंदिर माण्डल के नाम रिकोर्ड में दर्ज करने आदेश पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. अपीलांट प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये , एकतरफा निर्णय पारित किया गया। जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:06 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलांट का कब्जा रियासत काल से चला आ रहा है और उन्हें रियासतकाल में ठिकाना माण्डल से विवादित आराजी का पट्टा जारी किया गया था।

3. भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजीयात पूर्व इन्द्राज के अनुसार अपीलांट के पिता मदन पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज की गई थी। रेस्पोडेंट द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के इन्द्राज को कभी भी चुनोती नही दी गई। मंदिर को पृथक से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए।

4. भूमि मंदिर के नाम पूर्व में कभी नही रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया गया।

5. अपील स्वीकार की जायें तथा उपखण्ड अधिकारी माण्डल का निर्णय दिनांक 06.01.2017 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि अपीलाधीन प्रकरण में उन्हें नोटिस नहीं किया गया और एकतरफा निर्णय किया गया। जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 15.04.2018 को गांव में हुई। दिनांक 16.04.2018 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया। दिनांक 19.04.2018 को नकल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा शीघ्र अपील प्रस्तुत की।

धारा 96 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कहा है कि मौके पर वह खातेदार काश्तकार होकर विवादित भूमियों पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। मगर अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनया गया था। प्रार्थी का उक्त आराजी में हित निहित है और वह व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है। उसे अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाये।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कहा है कि अप्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में विवादित भूमियों को अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी को भूमियों से बेदखल कर देगा एवं आराजी का कब्जा प्राप्त कर लेगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है। अतः अपील निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान किया जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि मेरी खातेदारी एस0डी0ओ0 माण्डल में मंदिर के नाम दर्ज कर दी है। हमें पक्षकार ही नही बनाया गया। मंदिर हमारे है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया है(1986 आरआरडी पेज111), धारा 136 का स्कॉप लिमिटेड है(2016 आरआरटी सुप्रीम कोर्ट पेज 10), रेस्पोडेंट द्वारा एक सादा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कोई एड्रेस नहीं है। मौकापर्चा किसकी उपस्थिति में बनाया गया, स्पष्ट नहीं है। खातेदार [illegible] बनाया जाना चाहिए था। हमने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एवं मियाद [illegible] के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील रेस्पोडेंट की ओर से बताया गया कि पुराने खसरा न[illegible] मंदिर के नाम थे। भू–प्रबन्ध के बाद नाम से नये खसरा नम्बर प्राइवेट व्यक्तियों के नाम [illegible] गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:06 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट को अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था। जबकि वह खातेदार काश्तकार था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय की उसे जानकारी नहीं रही होगी। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 25.04.2018 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2033–38 में विवादित आराजीयात अपीलांट के पिता एवं माता के नाम दर्ज थी। उक्त आधार पर अपीलांट को व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाना उचित होगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिनांक 03.05.2018 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकोर्ड एवं मौका स्थिति बाबत आदेश प्रदान किये।

अपीलाधीन प्रकरण 546/16 उनवानी समस्त ग्रामवासी माण्डल, मंदिरमाफी, सार्वजनिक स्थान, कुम्भा मंदिर माण्डल बनाम जरिये तहसीलदार माण्डल के निर्णय एवं ऑर्डरशीट दिनांक 02.11.2016 से 06.01.2017 का अवलोकन किया गया। दिनांक 29.05.2016 को ग्रामवासीयान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र लिगल फोर्मेट में नहीं था। इसमें पक्षकारों के नाम नहीं लिखे हुए थे न ही किसी रेस्पोडेंट का नाम लिखा हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कुल 8 अपेंन्डिक्स लगाये गये थे। जिसमें पूर्व में विवादित भूमियों के संबंध में अनिर्णित कार्यवाहीयों के रिकोर्ड्स आदि थे। एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2008 का है जो उपखण्ड अधिकारी माण्डल कों संबोधित है जिसमें देवस्थान की आराजी को खातेदारी में ले लेने बाबत विषय अंकित है। जिसमें मूल रूप से यह कहा गया है कि विवादित आराजी को पुनः मंदिर के नाम दर्ज करवायी जायें। तहसीलदार माण्डल द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 02.04.2008 के क्रम में पटवारी माण्डल की रिपोर्ट बनायी गई है। जिसमें उन्होनें राजस्व रिकोर्ड के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है। दिनांक 21.11.2008 को ग्रामवासीयों द्वारा पुनः निवेदन कर कहा कि उनके द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र दिनांक 20.03.2008 के प्रस्तुत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उचित कार्यवाही की जायें। इस पर दिनांक 16.01.2009 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनः तहसीलदार माण्डल को लिखा गया। दिनांक 28.05.2012 को तहसीलदार माण्डल द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी माण्डल को प्रेषित किया गया। उक्त पूर्व प्रकरणों में कोई कार्यवाही सम्भवतः नहीं हुई है। इस पर दिनांक 29.05.2016 को पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय माण्डल की प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.11.2016 को प्रार्थना पत्र को दर्ज किया गया और विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 18.11.2016 को रेस्पोडेंट सरकार पेरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और उसी दिन बहस सुनी गई। दिनांक 06.01.2017 को प्रोसिडिंग पर ही निर्णय लिखवाया गया तथा आदेश पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा उक्त प्रकरण को धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है न की वाद के रूप में जैसा अपीलांट द्वारा बताया गया था। अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1986 आरआरडी पेज 111 इन्द्रा बाल विधा मंदिर बनाम राजस्थान राज्य का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिसके दो घटक बताये गये है–प्रथम सुनवाई का अवसर दिया जाये। दूसरा सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया जायें। परंतु वर्तमान केस में अपीलांट को खातेदार काश्ताकार होने के बावजूद सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:21:06 IST
Reason: SelfAttested

गया। ना ही पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि उन्हें पक्षकार बनाया जाकर कोई नोटिसेज जारी किया गये हों। उनके द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 10 के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। नगर परिषद बाड़मेर बनाम राजस्थान राज्य में उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि को राजस्थान राज्य के स्थान पर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिसे राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त किया गया। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों को धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में उसकी खातेदारी को बिना उसे सुने मंदिर के नाम चढ़ा दी गई है जो उचित नहीं है। बहस बिन्दुओं एवं पत्रावली पर मनन के बाद समग्र विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट को अपीलाधीन कार्यवाही में ना तो सुना गया , ना ही उसे नोटिस जारी किया गया। जबकि वह विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार था। अपीलाधीन कार्यवाही में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लिगल फार्मेंट में नहीं था तथा धारा 136 एलआरएक्ट में लिमिटेड स्कॉप ही होता है। इसमें सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रकरण संख्या 546/2016 उनवानी समस्त ग्रामवासी माण्डल बनाम तहसीलदार माण्डल निर्णय दिनांक 06.01.2017 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली पुनः उचित विधिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करते हुए उपखण्ड अधिकारी माण्डल को रिमाण्ड की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:06 IST
Reason: SelfAttested